न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-090 (GCMS 2023-187)

1. दलाराम पुत्र जयराम जाति जाट
2. ओमाराम पुत्र जयराम जाति जाट
3. करनाराम पुत्र जयराम जाति जाट
4. कैलाश पुत्र जयराम जाति जाट
5. श्रीमती भूरी पत्नी जयराम जाति जाट

सभी निवासीगण ग्राम रामनगर
सिन्धियों की ढाणी, तहसील तिंवरी
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार तिंवरी,
   जिला जोधपुर
2. ग्राम पंचायत रामनगर,
   सिन्धियों की ढाणी जरिये सरपंच
3. श्रीमती पप्पुदेवी पुत्री जयराम पत्नी भल्लाराम जाति जाट
   निवासी बासनी बेन्दा,
   तहसील व जिला जोधपुर
4. श्रीमती चुकी देवी पुत्री जयराम पत्नी मादाराम जाति जाट
   निवासी ग्राम नेतडा, तहसील बावडी,
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 03 जनवरी 2023 राजस्व प्रकरण संख्या 358ए/2017 (91/2020) अनवान तहसीलदार तिंवरी बनाम जयराम

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 05 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 258ए/2017 (91/2020) तहसीलदार तिंवरी बनाम जयराम आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 06 जून 2023 को प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि प्रभारी अधिकारी शिविर रामपुरा द्वारा मौजा रामपुरा भाटियान स्थित विभिन्न खसरा की आराजियात को को सार्वजनिक रास्ते के तौर पर राजकीय भूमि घोषित करते हुए आदेश दिनांक 03 फरवरी 1983 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 2018/091 जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान इत्यादि दिनांक 11 अप्रेल 2016 को मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी गयी। अदालत हाजा के उक्त निर्णय दिनांक 11 अप्रेल 2016 के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 30 मार्च 2017 को स्वीकार करते हुए प्रकरण अदालत हाजा को प्रतिप्रेषित किया गया। तदनुसार पुनः अपील दर्ज की जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17 मई 2017 पारित करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिकरूपेण स्वीकार की गयी और प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों सहित प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके खिलाफ दोनों पक्षों की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष चाराजोई की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गयी, जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण संख्या निगरानी/टीए/4819/2017/जोधपुर अनवान जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत आदि एवं प्रकरण संख्या निगरानी/टीए/5700/2017/जोधपुर अनवान राजस्थान सरकार बनाम जयराम इत्यादि दिनांक 26 अप्रेल 2018 को खारिज की गयी और अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 यथावत रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त निगरानी प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2018 के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका पेश की गयी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 15177/2018 अनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जयराम व अन्य दिनांक 14 फरवरी 2020 को खारिज की जाकर विचारण न्यायालय को चार माह में प्रकरण निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया। जिसके अनुसरण में विचारण न्यायालय में प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 पारित किया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में एफ.एस.एल. जांच करवायी जाने हेतु अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, मगर उक्त प्रार्थनापत्र बाबत न तो कोई आदेश पारित किया गया और न ही एफ.एस.एल. जांच करवायी गयी। इसी प्रकार अदालत हाज के निर्देशों के अनुरूप गवाहान की साक्ष्य आदि का परीक्षण भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया और न ही अपीलाण्ट्स को जिरह का अवसर उपलब्ध कराया गया। रेस्पो. की ओर से साक्ष्य में दो-तीन शपथपत्र अवश्य प्रस्तुत किये गये जिनके संबंध में जिरह हेतु विचारण न्यायालय में पेशी भी मुकर्रर की गयी, मगर जिरह हेतु शपथग्रहीता विचारण न्यायालय में उपस्थित ही नहीं आये और न ही आइन्दा कोई पेशी जिरह हेतु रखी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही को गम्भीरता से नहीं लिया गया और आदेशिकाओं में राज्य सरकार को कभी प्रार्थी तो कभी अप्रार्थी माना गया, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत कोई निर्णय पारित नहीं किया और समर्पणनामा बाबत जो आपत्तियां पेश की गयी, उनके संबंध में बरवक्त निर्णय कोई विचार ही नहीं किया गया। जयराम के देहान्त के बाद उसके कायममुकामान की कार्यवाही हेतु न तो कोई प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय में पेश हुआ, न कायममुकामान को नोटिस जारी किये गये और न ही कोई संशोधित वादशीर्षक प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14 सितम्बर 2022, 19 सितम्बर 2022 व 10 अक्तूबर 2022 में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु लिखा गया, लेकिन न तो कोई तलब हुई, न तलबी हेतु नोटिस जारी हुए और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया तथा गलत एवं गैरकानूनी तरीके से प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि मूल समर्पणनामा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि उसमें कांट-छांट की हुई है, सरपंच की कोई सील अथवा हस्ताक्षर नहीं है (जबकि अन्य प्रस्तुत समर्पणनामों पर सरपंच की मुहर सहित हस्ताक्षर है) और अकृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण की गयी भूमि का उल्लेख है, कौनसी एवं कहां भूमि समर्पण की गयी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। सन् 1983 से लेकर सन् 2021 तक नक्शें में भी किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तरह के रास्ते की तरमीम नहीं थी और न ही मौके पर कोई रास्ता चलता था। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में राजस्व रेकर्ड एंव मौके की यथास्थिति का आदेश दिया गया था, जिसकी अवहेलना करते हुए मौके पर बार-बार रास्ता खुलवाने की कार्यवाही की गयी। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20 नवम्बर 2020 में आगामी पेशी 16 दिसम्बर 2020 निर्धारित की गयी, मगर पत्रावली राजस्व मण्डल भिजवा दिये जाने के कारण मामले में आगे कोई तारीख पेशी नहीं दी गयी एवं बताया गया कि मण्डल से पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने के बाद दिनांक 04 अगस्त 2022 को प्रकरण पेशी पर लिया गया एवं आगामी पेशी 10 अगस्त 2022 मुकर्रर की गयी। जिसकी कोई सूचना अपीलाण्ट्स या उनके अधिवक्ता को नही दी गयी। यही नहीं विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14 सितम्बर 2022, 19 सितम्बर 2022 व 10 अक्तूबर 2022 में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु लिखा गया, लेकिन न तो कोई तलब हुई, न तलबी हेतु नोटिस जारी हुए और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया तथा गलत एवं गैरकानूनी तरीके से प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया। मण्डल में प्रकरण निस्तारित होने के बाद अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय में पूछताछ भी की गयी, मगर यही बताया गया कि मण्डल से पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है, सम्भवतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां में भिजवा दी गयी होगी, वहॉ पता करो। दिनांक 19 मई 2023 को मौके पर तहसीलदार रास्ता खुलवाने आये तब बताया कि लूणी से फैसला गया है। इस पर अपीलाण्ट्स ने विचारण न्यायालय में नकल हेतु आवेदन दिनांक 23 मई 2023 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश कर नकले मांगी, जो दिनांक 24 मई 2023 को प्राप्त होने पर विधिवत अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी हुई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रस्तुत अपील अंदर मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स का यह अभिकथन सरासर मिथ्या एवं निराधार है कि लाबुराम, जयराम तथा तीजादेवी द्वारा कभी कोई समर्पणनामा निष्पादित नहीं किया गया। इस संबंध में राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि उक्त समर्पणनामे कूटरचित होते तो अपीलाण्ट्स अथवा स्वयं लाबुराम, जयराम तथा तीजादेवी द्वारा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अमल में लायी जाती, किन्तु आदिनांक तक इस संबंध में कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं करायी गयी है। वस्तुस्थिति तो यह है कि उक्त समर्पणनामें विधिवत निष्पादित किये जाकर भूमि रास्ते हेतु समर्पित की गयी थी। इन समर्पणनामों के संबंध में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में आवश्यकता हो तो एफ.एस.एल. जांच करवाई जाने का निर्देश दिया गया था। चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य साक्ष्य के आधार पर इन समर्पणनामों की पुष्टि हो जाने से एफ.एस. एल. जांच करवाई जाने की आवश्कता ही नहीं रही। अतः उक्त जांच न कराये जाने मात्र के कारण अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट्स ने जयराम के फौत होने की कोई सूचना कभी भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट्स द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मिथ्यारोपण किया जाना सही नहीं है कि जयराम एवं अन्य मृतक पक्षकारान के वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। मियाद के संबंध में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मण्डल से प्रकरण निस्तारित होकर विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने के संबंध में अपीलाण्ट्स को भलीभांति जानकारी रही है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना सही नहीं है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना ही कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अंत में राजकीय अधिवक्ता ने आलौच्य अपील मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बिन्दुवार प्रकरण की पृष्ठभूमि के तथ्यों, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एवं विधिक परिस्थितियों को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में अदालत हाजा द्वारा दिये गये सभी निर्देशों की विचारण न्यायालय द्वारा बिन्दुवार समुचित पालना करते हुए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर जयराम ने समर्पणनामा विड्रो करने का निवेदन किया है अर्थात स्वयं जयराम ने समर्पणनामा निष्पादित किया जाना अप्रत्यक्षरूपेण स्वीकार किया गया है। जहॉ तक समर्पणनामा पर अंगुष्ठनिशान होने तथा जयराम द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा विभिन्न दस्तावेजात (यथा जयराम द्वारा 24 फरवरी 1992 को श्रीमती छोटीदेवी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बेचान दस्तावेज पर जयराम के अंगुष्ठ निशान, उक्त भूमि श्रीमती छोटी देवी से पुनः खरीद संबंधित दस्तावेजात पर केता की हैसियत से जयराम के हस्ताक्षर आदि) बाबत विश्लेषण एवं विवेचन कर विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि पूर्व में जयराम अंगुष्ठ निशान करता था, कालान्तर में हस्ताक्षर करने लगा। पंजीकृत बेचाननामा वर्ष से साबित है कि समर्पणनामा पर अंगुष्ठनिशान जयराम का ही है। रामनगर के निवासियों द्वारा 04 जून 2014 को तहसीलदार तिंवरी के समक्ष ग्राम रामनगर में कटाणी रास्ता सही जगह तरमीम करने बाबत प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उस पर अन्य ग्रामवासियों के साथ-साथ जयराम के भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार दिनांक 30 जून 2014 को नेनुराम की प्याउ रामपुरा से उजलिया जाने वाला रास्ता खुलवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी जयराम व उसके पुत्र दलाराम द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है। साथ ही आदेश कमांक 1445 दिनांक 03 फरवरी 1983 का हवाला दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश के जरिये ही लाबुराम व जयराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 519 व 519/2 में से भूमि समर्पित मानते हुए रास्ता घोषित की गयी थी। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो ने यह भी जाहिर किया कि अपने जीवनकाल में कभी भी जयराम ने समर्पणनामा बाबत जांच करवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की। जयराम का दिनांक 24 जून 2021 को देहान्त हो चुका है। जयराम द्वारा भूमि रास्ते के लिए समर्पण किये जाने के साथ अन्य लोगों ने भी उक्त रास्ता के लिए अपनी खातेदारी भूमि समर्पित की, उसमें से जीवित गोविन्दराम, भंवरराम द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बयान दिये है। इस संबंध में अन्य आसामियों द्वारा भूमि समर्पित की गयी, जिन्होंने विचारण न्यायालय में अपने शपथपत्र पेश कर जयराम द्वारा समर्पणनामा निष्पादित किये जाने की पुष्टि की है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा पूर्व में निर्णय दिनांक 17 मई 2017 पारित करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिकरूपेण स्वीकार की गयी और प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों सहित प्रतिप्रेषित किया गया-

1. आराजी खसरा संख्या 519 व 519/2 के संबंध में प्रस्तुत समर्पणनामों के संबंध में पूर्णत जांच की जावे, आवश्यकता हो तो एफ.एल.सी. जांच करवायी जावे।
2. दोनों पक्षों की ओर से गवाहान की साक्ष्य आदि का परीक्षण किया जावे।
3. संबंधित अधिनियम के प्रावधानों, नियम व प्रचलित परिपत्रों आदि की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. जिस रास्ते हेतु भूमि का तथाकथित समर्पणनामा निष्पादित होना दर्शाया जा रहा है, वर्तमान में उस रास्ते की आवश्यकता एवं औचित्य बाबत विश्लेषण किया जावे।
5. बिन्दु एक से चार तक पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर समुचित कार्यवाही करते हुए पुनः निर्णय पारित किया जावे।

उक्त निर्णय के खिलाफ दोनों पक्षों की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष चाराजोई की गयी, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा प्रकरण निगरानी/टीए/4819/2017/जोधपुर अनवान जयराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत आदि एवं निगरानी/टीए/5700/2017/जोधपुर अनवान राजस्थान सरकार बनाम जयराम इत्यादि दिनांक 26 अप्रेल 2018 को खारिज की गयी और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 यथावत रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2018 के खिलाफ रिट राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका पेश की गयी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 15177/2018 अनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जयराम व अन्य दिनांक 14 फरवरी 2020 को खारिज की जाकर विचारण न्यायालय को चार माह में प्रकरण निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में दिये गये निर्देशों को उचित मानते हुए माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा के उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप विचारण न्यायालय द्वारा मामले में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः कार्यवाही निर्धारित विधिक प्रकिया अपनाते हुए करते हुए मामले का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था।

अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में विचारण न्यायालय में प्रकरण पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी, जिसके दौरान-

1. आदेशिका दिनांक 19 मार्च 2019 के अनुसार साक्ष्य में गवाह भंवरलाल व गोविन्दराम के शपथपत्र पेश होने पर आइन्दा पेशी वास्ते जिरह दिनांक 16 अप्रेल 2019 मुकर्रर की गयी, मगर उक्त दिनांक को उक्त गवाहान के विचारण न्यायालय में जिरह हेतु उपस्थित होने अथवा नहीं होने के संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है और न ही आइन्दा कोई पेशी वास्ते जिरह मुकर्रर की गयी है। इस प्रकार जाहिर है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स को उक्त शपथपत्रों बाबत गवाहान स जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा इन शपथपत्रों के आधार पर वादग्रस्त आराजियात बाबत कथित समपर्णनामा को विधिवत एवं जयराम द्वारा निष्पादित किया जाना माना गया है, जो न्यायोचित एवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं पाया जाता है।

2. यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आदेशिका में वर्णित शपथपत्रों के अतिरिक्त भी विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 284 से 289 कमशः प्रेमसिंह परिहार पुत्र दलाराम, उदाराम पुत्र जोराराम, बाबूराम पुत्र रावतराम, उम्मेदाराम पुत्र जोराराम, भींयाराम पुत्र जेठाराम व सोनाराम पुत्र भेराराम के भी शपथपत्र उपलब्ध है जिनका उल्लेख विचारण न्यायालय की आदेशिका में नहीं है। इनमें से विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज 107 (126) एवं पेज 286 पर उपलब्ध शपथपत्रों में शपथकर्ता कमशः भंवरलाल व बाबूराम के पिता का नाम रावतराम लिखा हुआ है, जबकि प्रभारी अधिकारी कैम्प रामपुरा के आदेश कमांक 1446 दिनांक 03 फरवरी 1983 में तथा समर्पणनामों (तीनों विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 78-79 व 84 पर उपलब्ध) में इनके पिता का नाम रामुराम अंकित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. उपरोक्त बिन्दु 1 से 3 में किये गये विवेचन से यह भी प्रकट होता है कि पूर्व में अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17 मई 2017 में प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए दिये गये निर्देशों (जिनकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 26 अप्रेल 2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14 फरवरी 2020 से भी होती है) की समुचित पालना किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं दिनांक 14 सितम्बर 2022, 19 सितम्बर 2022 व 10 अक्तूबर 2022 में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु लिखा होने के उपरान्त भी न तो तलबी हेतु कोई नोटिस जारी होना पाया जाता है और न ही अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है। इसके अलावा गुणावगुण पर भी अपील सारवान पायी जाने से मियाद जैसे तकनीकी आधार पर पक्षकारान के लिए न्यायप्राप्ति का रास्ता अवरुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 जनवरी 2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त आब्जर्वेशन के आलोक में पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत न्यायोचित कार्यवाही करते हुए तथा पत्रावली पर पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभिन्न प्रार्थनापत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए मूल प्रकरण का न्यायसंगत निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात बाबत रास्ते के संबंध में राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत रखी जावे तथा अपीलाण्ट्स मौके पर रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध/व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी के समक्ष दिनांक 01 अगस्त 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर